कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना

(बी0 भी0 सी0 पटना–14)

Phone No- 0612-2225306/2221037 Fax No- 0612-2225306 Email-ID- dahopat@gmail.com

निविदा–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु फ्रोजेन सीमेन बैंक सह बुल स्टेशन, पटना/विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना के पशुओं के लिए सूखा चारा एवं मौसमी हरा चारा (गेहूँ, भूसा, नेवारी, कुट्टी, मौसमी हरा चारा) क्रय के लिए दर निर्धारन हेतु प्रकाशन की तिथि से 21वीं दिन तक के अपराह्न 05:00 तक में द्वि लिफाफा पद्धति के आधार पर आपूत्तिकर्त्ता से शील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। अन्तिम तिथि तक प्राप्त निविदा को दूसरे कार्य दिवस के 03:00 बजे अपराह्न में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में जिला स्तरीय क्रय समिति एवं निविदादाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता एवं उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदा सूचना की विस्तृत शर्त्ते एवं विवरणी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विभागीय बेवसाईट http//ahd.bih.nic.in एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना तथा निकटस्थ पशुपालन विभाग के स्थानीय कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय से प्राप्त कि जा सकती है।

26/4/18

26/4/18

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना

(बी० भी० सी० पटना–14)

Phone No- 0612-2225306/2221037 Fax No- 0612-2225306 Email-ID- dahopat@gmail.com

निविदा की शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु फ्रोजेन सीमेन बैंक सह बुल स्टेशन, पटना / विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना के पशुओं के लिए सूखा चारा एवं मौसमी हरा चारा (गेहूँ, भूसा, नेवारी, कुट्टी, मौसमी हरा चारा) क्रय के लिए दर निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की प्राप्ति निविदा प्रकाशन से 21वीं दिन तक अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित / हाथों हाथ कार्यालय में प्राप्त की जाएगी एवं निविदा प्राप्ति के अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस को अपराह्न 03:00 बजे जिला स्तरीय क्रय समिति एवं निविदा दाता / प्रतिनिधि के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जाएगी। सूखा चारा का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा तथा भुगतान भी उन्हीं के स्तर से किया जाएगा। निविदा की विस्तृत शर्ते विभागीय बेवसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही स्थानीय विभागीय कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी इसे देखा जा सकता है।

निविदा की शर्ते :–

1. निविदा के साथ रूपये 5000=00 (पांच हजार रूपये मात्र) अग्रधन के रूप में पोस्ट ऑफिस सेविंग पासबुक या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से अधिपालित कराकर जमा करना अनिवार्य है। इस निविदा में असफल घोषित निविदा दाता को अग्रधन की राशि क्रय समिति के निर्णय के पश्चात संबंधितों को तुरंत वापस कर दी जायेगी।
2. अग्रधन से संबंधित राशि अलग लिफाफा में एवं दर से संबंधित पत्र अलग लिफाफा में बंद कर दोनो को एक बड़े लिफाफा में रखकर मोहर बंद लिफाफा सूखा चारा एवं हरा चारा के लिए निविदा अंकित करते हुये जिला पशुपालन कार्यालय, पटना में निर्धारित समय तक में जमा करना होगा।
3. संस्थान के गोदाम तक पहुँचाकर, तौलवाकर एवं रखवाकर प्रति क्विंटल दर अंकित रहना अनिवार्य है। सुखा चारा तथा मौसमी हरा चारा का अलग–अलग दर अंकित करना होगा।
4. निविदाताओं को आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 200 ग्राम नमूना के रूप में, जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैला में मुहरबंद कर, निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। पारदर्शी प्लास्टिक के थैला पर अपना नाम पता एवं मोबाईल नं० निविदा दाता के द्वारा लिखना अनिवार्य है। सूखा चारा अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।
5. आपूर्ति की जानी वाली सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के आधार पर नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी। आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा बिल्कुल ही साफ होना चाहिए, फंगस या सड़ा हुआ पुआल का कुटी मान्य नही होगा।
6. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति नहीं देने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
7. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
8. आपूर्ति आदेश के अनुसार चारा की आपूर्ति करने की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व देनी होगी।
9. एक से अधिक निविदाताओं को एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी संवेदक को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा समिति को बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा से संबंधित किसी भी न्यायिक विवाद का निपटारा पटना स्थित न्यायालय के अधीन होगा।

26/4/18   26/4/18

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना